अररिया समाहरणालय

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

बिहार सरकार

दूरभाष सं0 : 06453-222001(का0)
06453-222102(आ0)

फैक्स सं0 : 06453-222124

Email : dm-araria.bih@nic.in

आदेश

संभावित बाढ़ 2017 के मद्देनजर अररिया जिला अंतर्गत अंचल अधिकारियों से प्राप्त अधियाचना के अनुसार तत्काल 10 (दस) मंझोली नाव आपूर्ति करने हेतु **मेसर्स शिव शक्ति फर्नीचर हाउस, हसनपुर, रानीगंज से वित्तीय वर्ष 2017-18 के निर्धारित दर मो0** 83,525/-(तिरासी हजार पांच सौ पचीस) रूपये पर प्रति मंझोली नाव आपूर्ति करने हेतु निम्नांकित शर्त के अनुरूप मंझोली नाव आपूर्ति करने का आपूर्ति आदेश दिया जाता है :-

क्र0सं0	नाम का प्रकार	साईज	नाव की विशिष्टितियाँ	लकड़ी का प्रकार
1	मंझोली नाव	20'X5'X1.9'	1. नीचे तरी–तख्ता–मोटाई 1.25 इंच 2. तारी की चौड़ाई– 60 इंच (05 फीट) 3. तरी की लम्बाई– 17 फीट 4. तरी पर सर्पोटर मोटाई– 3" X 2" 10 पीस 5. बगली–तख्ता की मोटाई–1 इंच–21'X1.5' X1' (दोनो साईड) 6. बगली दिवाल–तख्ता पर सर्पोटर की मोटाई–3" X 2"(दोनो साईड)–10 पीस 7. बगली के दोनो साईड बंधन बती–उपरी भाग–3"X1.50" (दोनो साईड) 8. रस्सी बाँधने वाला खुंटा– 3" X 2.5" 02 पीस 9. मलाह मांग पाटन दोनो साईड–तख्ता 01 इंच नीचे सर्पोटर 4"X2" दोनो साईड (04 फीट लम्बाई में) 10. उपरी भाग सर्पोटर (गुरहा)–4" X 3" 03 पीस 11. आगे–पीछे मांग 5"X3"X3.5' 02 पीस	पूर्णरूपेण सखुआ–100%

आवश्यक शर्त्तें–

1. नाव सखुआ की लकड़ी का होना चाहिए।
2. आपूर्तिकर्त्ता को नाव की आपूर्ति उपर दिये गये विवरण के आलोक में निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करनी होगी।
3. आपूर्ति करनेवाली नावों की गुणवत्ता/विशिष्टियाँ की जाँच निम्न पदाधिकारियों द्वारा नाव बनाने के स्थान पर जाकर किया जायेगा।
   - V. **जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, अररिया**
   - VI. **वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया**
   - VII. **कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अररिया**
   - VIII. **मोटरयान निरीक्षक, अररिया**
4. आपूर्तिकर्त्ता को आदेश दिया जाता है कि वे 15 दिनों के अंदर अविलम्ब नाव की आपूर्ति उचित साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुरूप करेंगे। आपूर्तिकर्त्ता को आवश्यकतानुसार नाव अंचलों को उपलब्ध कराना होगा। इसके लिये कोई अग्रिम एवं अलग से परिवहन शुल्क देय नहीं होगा।
5. आपूर्तिकर्त्ता को प्रति नाव के साथ आवश्यक सामग्री यथा रस्सा मोटावाला 50 फीट, पत्तवार एवं लंगड़ आदि सामग्री भी देना होगा।
6. नाव की आपूर्ति ससमय नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरूद्ध काननूी कार्रवाई की जायेगी।
7. आपूर्तिकर्त्ता फर्म द्वारा अद्यतन कर चुकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।
8. आपूरित सामग्री की गुणवत्ता एवं मात्रा से संतुष्ट होने पर आवश्यक वैधानिक कटौतियों के उपरान्त लेखा प्रदायी चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक......683......./आ0प्र0, अररिया, दिनांक...12.../.....08..../2017

प्रतिलिपि : मेसर्स शिव शक्ति फर्नीचर हाउस, हसनपुर, रानीगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, अररिया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, अररिया/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अररिया/मोटरयान निरीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया/आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित एवं निदेश दिया जाता है कि जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/फारबिसगंज/सभी अंचल अधिकारी, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – जिला नजारत उपसमाहर्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्य. कार्यार्थ प्रेषित।

12/8/17

जिला पदाधिकारी,
अररिया

जिला आई० टी० प्रबंधक
अररिया